



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 अगस्त, 2002 ई0

श्रावण 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 240/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 01 अगस्त, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल भारतीय वन (उत्तरांचल, संशोधन) विधेयक, 2001 को दिनांक 17-7-2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 10, सन् 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001

(अधिनियम सं0 10 वर्ष 2002)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उत्तरांचल में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. (1) यह अधिनियम भारतीय वन (उत्तरांचल) अधिनियम, 2001 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विरतार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

2. भारतीय वन अधिनियम, 1927 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा।

2-क "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य धारा-52 क के अधीन प्राधिकृत किये गये अधिकारी से है।

धारा 26 का संशोधन 3. मूल अधिनियम की धारा 26 की, उपधारा (1) में-

(एक) खण्ड (ख) में शब्द "आरक्षित वन में" के पश्चात शब्द "या ऐसी किसी भूमि में स्थित किसी वन में जिसके सम्बन्ध में धारा-4 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) खण्ड (ड) में, शब्द "घसीटने" के स्थान पर शब्द "हटाने" रख दिया जायेगा,

(तीन) खण्ड (च) में, शब्द "पत्तियां तोड़ डालेगा, या उसे" के पश्चात शब्द "या किसी वन उपज को" बढ़ा दिये जायेंगे,

(चार) शब्द "ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर शब्द, "खण्ड (ख) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा, और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो पांच हजार रुपये से कम का न होगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और अन्य खण्डों में वर्णित किसी कार्य के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 33 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 33 की, उपधारा (1) में-

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "या साफ करेगा" के पश्चात शब्द "या तोड़ने या साफ करने का प्रयास करता है" बढ़ा दिया जायेगा,

(दो) खण्ड (च) में, शब्द "खींचेगा" के स्थान पर शब्द "हटायेगा" रख दिये जायेंगे,

(तीन) शब्द "जो छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से" के स्थान पर, "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा और उसी अपराध के लिए द्वितीय और प्रत्येक अनुवर्ती दोषसिद्धि पर ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 42 का संशोधन 5. मूल अधिनियम की धारा 42 की, उपधारा (1) में-

शब्द "जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माना, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर शब्द, "जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा" रख दिये जायेंगे।

उत्तर
6. मूल अधिनियम
(1)
पशुओं, र

कि किर
किया र
या कि
उसे र
युक्ति
के रि
के र
करने
आव

ऐस
आ
रि
म
र

द्वारा इस

धारा-2

कृत किये

कि किसी
पारी की

दिया

द "या

या

गा

णित

या

गा,

के

क

अत

स

शे

क

ने

।

6. मूल अधिनियम की धारा 52 में—

(एक) उपधारा (1) शब्द "छकड़ों या पशुओं" के स्थान पर शब्द "वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं" रख दिये जायेंगी।

(दो) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी—

कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी नाव या छकड़ों या वाहन का प्रयोग ऐसी किसी वन उपज के परिवहन के लिए किया गया है या किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति से उसे रोकने की अपेक्षा कर सकता है और वह ऐसी किसी नाव या वाहन की ऐसे युक्तियुक्त समय के लिए जैसा कि ऐसी नाव या वाहन में रखी वस्तुओं का परीक्षण करने के लिए और ऐसी नाव या वाहन के चालक या अन्य प्रभारी व्यक्ति के प्रश्नगत वन उपज के स्वामित्व और विधिक उत्पत्ति से सम्बन्धित दावों, यदि कोई हो, को अभिनिश्चित करने के लिए परिवहित माल से सम्बन्धित अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हो, निरुद्ध कर सकता है।

(तीन) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला हर अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है और यथाशक्य शीघ्र ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा और यदि अभिग्रहण वन उपज के सम्बन्ध में हो, जोकि राज्य सरकार की सम्पत्ति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को भी रिपोर्ट करेगा।

7. मूल अधिनियम की धारा-52 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं बड़ा दी जायेंगी अर्थात् :

धारा 52 का संशोधन

धारा 52—क, 52—ख,
52—ग और 52—घ
का बढाया जाना।

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी वन उपज, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, के सम्बन्ध में किसी वन अपराध के किए जाने का विश्वास हो, वहां धारा-52 की उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, बिना अयुक्तियुक्त विलम्ब के उसे अपराध करने में प्रयुक्त ऐसे समस्त औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं सहित राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष, जो प्रभागीय वनाधिकारी की पंक्ति से निम्न न हो, प्रस्तुत करेगा जो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा कब्जा, परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जायेंगे एक लिखित आदेश देगा और औजारों, नावों, वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों और अन्य वस्तुओं की स्थिति में उन का अधिहरण भी कर सकता है।

52 (क) अभिग्रहण-
पर प्रक्रिया

(2) प्राधिकृत अधिकारी, बिना किसी अनुचित विलम्ब के, उपधारा (1) के अधीन दिए गये आदेशों की एक प्रति अपने पदीय वरिष्ठ को अग्रसारित करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की राय हो कि सम्पत्ति शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील है, वहां वह ऐसी सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को लोक नीलामी द्वारा बेचे जाने का आदेश दे सकता है और आगगो को इस प्रकार बरत सकता है जैसा कि वह उस सम्पत्ति को बरतता यदि वह बेची न गई होती और प्रत्येक ऐसी बिक्री की रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उस व्यक्ति को जिससे सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाय और किसी अन्य व्यक्ति को जो प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सम्पत्ति में कुछ हित रखने वाला प्रतीत हो, बिना लिखित सूचना दिए नहीं दिया जायेगा। परन्तु किसी वाहन के अधिहरण करने के किसी आदेश में जहां अपराधी का कोई पता न चल सके, उसके रजिस्ट्रीकृत स्वामी को लिखित सूचना देना और उसकी आपत्तियों पर यदि कोई हो विचार करना, पर्याप्त होगा।

(5) किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का अधिहरण करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी को संतोषजनक यह साबित कर दे कि ऐसे किसी औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु का प्रयोग बिना उसकी जानकारी के या मौनानुकुलता से या यथास्थिति, बिना उसके रोचक या अभिकर्ता की जानकारी के मौनानुकुलता से किया गया था और वन अपराध के किए जाने के लिए उपर्युक्त वस्तुओं के प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त पूर्वोपाय किए गये थे।

52-ख अपील

अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उनकी ऐसे आदेश की सूचना के दिनांक के तीस दिन के भीतर सम्बन्धित वृत्त के वन संरक्षक को अपील कर सकता है और वन संरक्षक अपीलार्थी और प्राधिकृत अधिकारी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, पुष्टि, उपान्तरित या अभिशून्य करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे और वन संरक्षक का आदेश अंतिम होगा।

52-ग अधिहरण का आदेश किसी अन्य दण्ड को नहीं रोकेगा
52-घ

धारा 52-क या 52-ख के अधीन अधिहरण का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड को दिए जाने से नहीं रोकेगा जिसका उससे प्रभावित, व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो सकता है।

इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त कतिपय मामलों में अधिकारिता पर रोक या किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जब कभी राज्य सरकार की कोई वन उपज और उसके साथ कोई औजार, नाव, वाहन, पशु, रस्सी, जंजीर या अन्य वस्तु धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन अभिग्रहित की जाय, तब प्रत्येक अन्य अधिकारी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी को उपवर्जित करते हुए धारा 52-क के अधीन वन संरक्षक प्राधिकृत अधिकारी को या धारा 52-ख के अधीन को सम्पत्ति का अभिरक्षा, कब्जे में रखने परिदान, निस्तारण या वितरण के सम्बन्ध में आदेश देने के लिए अधिकारित होगी।

धारा 53 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 53 में-

(एक) शब्द "छकड़ों या पशुओं" के स्थान पर "वाहनों, पशुओं, रस्सियों, जंजीरों, या अन्य वस्तुयें" रख दिये जायेंगे।

(दो) शब्द "बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर", के पश्चात् शब्द "धारा 52-क के अधीन आने वाले मामलों के, जिनके लिये उस धारा में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा", बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 55 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में शब्द "ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त सब छकड़े, पशु" के स्थान पर शब्द, "वाहन, पशु रस्सियां, जंजीरें और वस्तुयें" रख दिये जायेंगे।

धारा 57 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 57 में, शब्द "कोई अपराध किया गया है, तो" के पश्चात् शब्द "धारा 52 घ के अधीन रहते हुये" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 58 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 58 में शब्द "मजिस्ट्रेट, धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्निष्ठ किसी बात के होते हुये भी" के स्थान पर शब्द "धारा 52 के अधीन अभिग्रहीत की गई और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 52-क की उपधारा (3) के अधीन रहते हुये, मजिस्ट्रेट" रख दिये जायेंगे।

12. मूल अ
और इस
जायेगी,
है और
पुनरीक्षण
उसके फि
ऐसी स
में निरि
13. मू

राय
भूमि
लि
नों
दि

क
अ
ह
त

न अधिहरण
के प्राधिकृत
वाहन, पशु,
कुलता से
से किया
के विरुद्ध

नी सूचना
र सकता
देने के
भिन्न
आदेश

दण्ड
अधीन

मलों
भी,
हन,
की
र्त
के
में

12. मूल अधिनियम की धारा 60 को उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायेगा धारा 60 का संशोधन और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी,—(2) जब धारा 52-क के अधीन अधिहरण के लिए आदेश पारित किया जा चुका है और अपील या पुनरीक्षण के लिए परिसीमा अवधि बीत गयी है और कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया है या जब अपील या पुनरीक्षण में सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग के लिए अधिहरण के आदेश की पुष्टि की जा चुकी है तो, यथास्थिति, ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग सभी विल्लगंगो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेगा”।

13. मूल अधिनियम की धारा 61-के पश्चात, निम्नलिखित धाराएँ बढ़ा दी जायेंगी— नयी धारा 61-क और धारा 61-ख का बढ़ाया जाना

(1) यदि प्रभागीय वनाधिकारी से अनिम्न पंक्ति के किसी वन अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति जो आरक्षित या संरक्षित वन के रूप में गठित क्षेत्र में किसी भूमि के अप्राधिकृत अध्यासन में है और उसे बेदखल किया जाना चाहिये तो वन अधिकारी लिखित में सूचना देगा, जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसी दिनांक को या उसके पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट है, कारण बताने को कहा जायेगा कि बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाय। 61-क अप्राधिकृत अध्यासियों की 61(क) संक्षिप्त बेदखली

(2) यदि इस धारा के अधीन सूचना के अनुसरण में दिखाये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात वन अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उक्त भूमि अप्राधिकृत अध्यासन में है, तो वह ऐसे कारणों से जो उसमें अभिलिखित किए जायेंगे बेदखली का आदेश दे सकता है जिसमें यह निर्देश होगा कि उक्त भूमि को ऐसे दिनांक तक जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, जो आदेश के दिनांक से दस दिन से कम नहीं होगा, सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा रिक्त कर दिया जायेगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक बेदखली के आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करता है या विफल रहता है तो वन अधिकारी, जिसने उपधारा (2) के अधीन आदेश दिया था या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अन्य वन अधिकारी, उस व्यक्ति को उक्त भूमि से बेदखल कर सकता है और उसका कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन वन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, ऐसे आदेश के विरुद्ध वृत्त के वन संरक्षक को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अपील कर सकता है और वन संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का आदेश ऐसी अपील के विनिश्चय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(1) जहां कोई व्यक्ति धारा 61-क के अधीन किसी भूमि से बेदखल कर दिया गया हो वहां वन अधिकारी उस व्यक्ति को जिससे भूमि का कब्जा लिया गया है, कम से कम दस दिन की नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी भूमि पर अवशेष किसी सम्पत्ति को, जिसके अन्तर्गत गिराए गये भवन की कोई सामग्री या खड़ी फसल भी है, हटा सकता है या हटवा सकता है या लोक नीलामी द्वारा उसका निस्तारण कर सकता है। 61-ख-अप्राधिकृत अध्यासी द्वारा भूमि पर छोड़ी गयी सम्पत्ति निस्तारण

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति बेची जाय वहां उसके विक्रय आगम का भुगतान, विक्रय के व्ययों की और भूमि को उसके मूल रूप में लाने के लिए आवश्यक व्ययों की कटौती करने के पश्चात्, सम्बन्धित व्यक्ति को किया जायेगा।

14. मूल अधिनियम की धारा-65 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्

(1) इस अधिनियम में या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 26 या धारा 33 या धारा 42 या धारा 63 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अजमानतीय होगा। नई धारा-65क को बढ़ाया जाना 65-क कतिपय अपराध अजमानतीय होंगे

(2) उपर्युक्तानुसार किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को, यदि अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके निजी बन्धपत्र पर निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क)—अभियोजन पक्ष को ऐसी निर्मुक्ति के लिए आवेदन पत्र का विरोध करने के लिए अवसर न दिया गया हो, और

(ख)—जहां अभियोजन पक्ष उपर्युक्तानुसार आवेदन पत्र का विरोध करता है, वहां न्यायालय का यह समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है।

धारा 68 का संशोधन 15. मूल अधिनियम की धारा 68 में, उपधारा (3) में—

(एक) शब्द “और कम से कम सौ रुपये मासिक वेतन पाता है” निकाल दिये जायेंगे,

(दो) शब्द “पचास रुपये” के स्थान पर शब्द “प्रथम अपराध के लिये पांच हजार रुपये और उसी प्रकृति के द्वितीय और अनुवर्ती अपराध के लिये पांच हजार रुपये से कम या दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी” रख दिये जायेंगे।

धारा 74 का
प्रतिस्थापन
सदभाव से किये
गये कार्यों के
लिये परित्राण

16. मूल अधिनियम की धारा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या दिए गये आदेशों के अनुसरण में राज्य सरकार या किसी लोक सेवक द्वारा सदभावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए तात्परित किंसी कार्य के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा 77 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 77 में, शब्द “एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर शब्द “एक वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा” रख दिये जायेंगे।

धारा 79 का संशोधन

18. मूल अधिनियम की धारा 79 की, उपधारा (2) में शब्द “एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा” के स्थान पर शब्द “एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से दो हजार रुपये तक का हो सकेगा” रख दिये जायेंगे।

धारा 82 का
प्रतिस्थापन

19. मूल अधिनियम की धारा 82 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

सरकार की शोध्य
धन की वसूली

इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन, या किसी वन उपज की या किसी आरक्षित या संरक्षित वन में राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि पर उत्पन्न की गई किसी कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल की कीमत या वन उपज या उक्त कृषि फसल से सम्बन्धित किसी संविदा के अधीन राज्य सरकार को जुर्माने से भिन्न देय सब धन जिसके अन्तर्गत उस संविदा के उल्लंघन के लिए या उसके रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप उसके आधार पर वसूलीय कोई धनराशि भी है, या ऐसी कृषि फसल या अन्य वन उपज की नीलामी द्वारा, या किसी वन अधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन जारी किए गए टेन्डरों को आमंत्रित करके बिक्री से सम्बन्धित नोटिस के शर्तों के अधीन देय धन और इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को दिए गये समस्त प्रतिकर, यदि शोध्य होने पर न दिए गये हो, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसे वसूल किए जा सकेंगे मानो वे भू-राजस्व की बकाया हो।

आज्ञा से,

(आर० पी० पाण्डेय)
सचिव।